न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 21/2013
आरसीएमएस नं0 2007/00038
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955

बृजलाल पुत्र मूलाराम जाति जांगिड़ ब्राम्हण साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. सोहन
2. हरफूल उर्फ फुला } पि0 जैसाराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लाल खां तहसील नोहर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
4. हीरालाल
5. जीसुखराम
6. रामचन्द } पि0 हरखाराम जाति जांगिड़ ब्राम्हण साकिन ढाणी लाल तहसील नोहर।
7. रामप्रताप पुत्र मूलाराम जाति जांगिड़ ब्राम्हण साकिन ढाणी लाल खां तहसील नोहर
8. जूगी पुत्री मूलाराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण साकिन ढाणी लाल खां तहसील नोहर

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2007
द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्रकरण संख्या 29/2004 बअनवान सोहन लाल आदि बनाम हीरालाल आदि
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः–

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत खाता विभाजन का एक वाद पेश किया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजी जरई ख0 नं0 152 की 1.897, ख0 नं0 156 की 6.513 है0 व ख0 नं0 158 तादादी 1.100 है0, ख0 नं0 171 तादादी 1.239 है0 कुल तादादी 10.749 है0 वाके रोही मौजाढाणी लालखां तहसील नोहर एवं ख0 नं0 38 / 2 की 3.604 है0 वाके रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर में वाद पत्र में वर्णितानुसार खाता विभाजन करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 व 5 ने जवाब दावा पेश किया जिसमें कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में प्रश्नगत आराजी का बाहमी तौर से बंटवारा संवत 2006 में कर लिया था तथा उक्त बंटवारे के अनुसार संवत 2006 से काबिज चले आ रहे हैं तथा अलग अलग रूप से सींव व डोली आदि तकसीम कर रखी है। सींव व काश्त संबधि कोई विवाद नही है काश्त व कब्जा का वर्तमान में विभाजन किया जाना गैर कानूनी है। वादी ने अच्छी जमीन हड़पने के लिए वाद पेश किया है। अतः वाद पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है परन्तु लगान व काश्त सम्बन्धी वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में कोई विवाद नहीं है। वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारे के अनुसार संवत 2006 में तकासमा वाद भूमि का हो चुका था, जिसे वादीगण स्वीकार करते हैं। तब से लेकर आज तक तकासमा संबंधि, सींव संबंधि कोई विवाद नहीं हुआ था। अपीलाण्ट द्वारा विवादति भूमि में अपने हिस्से की भूमि को अच्छी व उम्दा किस्म की भूमि बनाने हेतु लाखों रूपये खर्च किये हैं तथा उर्वरा एवं उपजाउ बनाया है जिसे हड़पने के लिए वादीगण ने गलत मंशा से वाद पेश किया है जो कतई गैर कानूनी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नहीं है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि मुस्तरका खाता की भूमि है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि प्रश्नगत भूमि का बाहमी बंटवारा हुआ हो एवं उस बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज हो। रेस्पोडेण्ट एवं अपीलाण्ट के मध्य बंटवारे को लेकर विवाद रहता है, रेस्पोडेण्ट को विवादित भूमि का बंटवारा करवाने का अधिकार है। विचारण न्यायालय आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने प्रश्नगत भूमि का खाता विभाजन हेतु वाद पेश किया था, जिसे विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय निर्णय द्वारा डिक्री किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का बाहमी बंटवारा संवत 2006 में हो चुका था अब बंटवारा किया जाना गैर कानूनी है। मगर अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उभयपक्ष के मध्य पूर्व में बाहमी बंटवारा हुआ हो। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2007 यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7. 7. 2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/7/22

(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 21/2013
आरसीएमएस नं0 2007/00038
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955

बृजलाल पुत्र मूलाराम जाति जांगिड़ ब्राम्हण साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. सोहन } पि0 जैसाराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लाल खां
2. हरफूल उर्फ फुला } तहसील नोहर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
4. हीरालाल }
5. जीसुखराम } पि0 हरखाराम जाति जांगिड़ ब्राम्हण साकिन ढाणी लाल
6. रामचन्द } तहसील नोहर।
7. रामप्रताप पुत्र मूलाराम जाति जांगिड़ ब्राम्हण साकिन ढाणी लाल खां तहसील नोहर
8. जूगी पुत्री मूलाराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण साकिन ढाणी लाल खां तहसील नोहर
–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2007
द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्रकरण संख्या 29/2004 बअनवान सोहन लाल आदि बनाम हीरालाल आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेंट की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2007 यथावत रखे जाते हैं। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 7.7.22 को जारी की गई।

7/7/22

(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़